बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार में महादलितों के लिए गृह स्थल क्रय नीति एवं अभियान बसेरा योजनाएं बनाई गई, इन योजनाओं से बहुतों को भूमि प्राप्त भी हुई है। किन्तु इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी आज लाखों की संख्या में पूरे बिहार में बासभूमिहीन परिवार बासभूमि से वंचित रह रहे हैं। ये वंचित परिवार नहर के चार्ट पर, नदी के तटबंध पर, डगर पर, आहर पर, सड़क के किनारे, केसरे हिन्द , सरकारी आम एवं मालिक गैरमजरूआ भूमि इत्यादि पर बसे हुए हैं, किन्तु कानूनी अधिकारों से वंचित है। मुख्यत: ऐसे परिवार अनुसूचित जाति, जनजाति, अतिपिछड़ी, पिछड़ी जाति एवं पसमन्दा मुस्लिम समाज से आते हैं। इन समुदायों को बासभूमि स्वामित्व नहीं होने के कारण ये राज्य द्वारा चलाई गई विकास की योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

अत: इन समुदायों को बास भूमि स्वामित्व प्रदान करने के संबंध में मैं सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/- राम चन्द्र पूर्वे
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.48/2019- 372(1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 06.02.2019

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार / प्रश्न शाखा, निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 13.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 06.02.2019
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

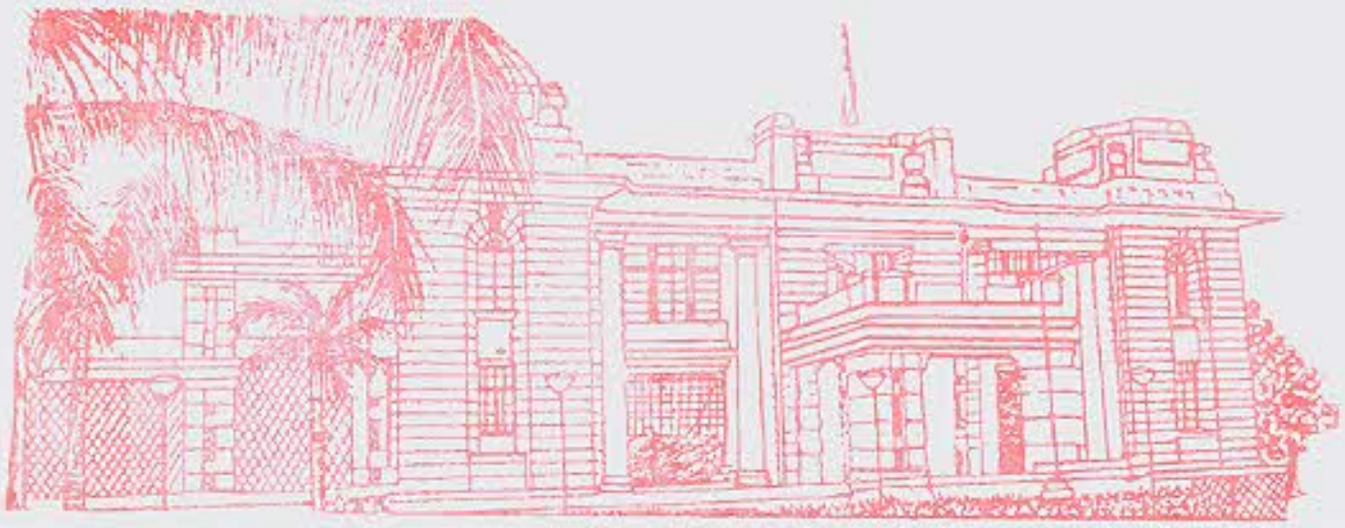

बिहार विधान परिषद् — ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार राज्य में रैयतों के बीच भूमि विवाद की संख्या लगातार बढ़ रही है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय निर्णय के बाद बिहार भूमि विवाद निवारण एक्ट, 2009 की धारा-144 में संशोधन कर दिया गया और इसके अंतर्गत पूर्व में दो रैयतों के बीच के भूमि विवाद के निवारण के अधिकार से अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार को वंचित कर दिया गया है। शिकायत निवारण नहीं होने के कारण रैयत अत्यंत परेशान और असुरक्षित हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इससे और खराब स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती कि सरकार को जनता मालगुजारी और टैक्स देती है परन्तु सरकार उसकी भूमि की रक्षा नहीं कर पा रही और भूमि विवाद का समाधान करने में अक्षम है। उच्च न्यायालय के आदेश की ओट में कार्यपालिका को निष्क्रिय होने का अवसर मिल रहा है।

अत: बिहार के रैयतों को भूमि-विवाद से त्राण दिलाने और भारतीय संविधान में वर्णित सुरक्षा के अधिकार का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/-प्रो०संजय कुमार सिंह, स0वि0प0

ह0/-केदारनाथ पाण्डेय, स0वि0प0

ज्ञापांक-वि0प0प्रा0-33/2019 -357(1) वि.प. पटना, दिनांक- 06.02.2019

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 13.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. केवल संबंधित विभाग के लिए

06.02.2019

नवल किशोर सिंह

उप सचिव,

बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

विधानमंडल के पूर्वी द्वार के सामने सन् 42 के शहीदों की मूर्तियां लगी हैं। किंतु अक्सर गोलम्बर के चारों तरफ विभिन्न संगठनों के बैनर और होर्डिंग लगे रहने के कारण मूर्तियां दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, ढंक जाती है। यह स्वतंत्रता-सेनानी शहीदों का अपमान है। ज्ञातव्य है कि स्मारक-स्थल के सामने ही दस कदम पर सचिवालय थाना है जिसको स्मारक स्थल से अतिक्रमण एवं होर्डिंग-बैनर द्वारा स्मारक विरुपण दूर करने की स्थायी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

अत: इस गंभीर समस्या के संबंध में सरकार से सदन में मैं एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- रामवचन राय
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र.- 36/2019-356(1) /वि.प., पटना, दिनांक – 06.02.2019

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

2. माननीय सदस्य दिनांक 13.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 06.02.2019
(नवल किशोर सिंह)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

रिहाइशी इलाकों एवं बसावटों में पूर्व से ही लगे और अभी भी धड़ल्ले से लगाये जा रहे मोबाईल टावर, आम लोगों के लिए शारीरिक एवं मानसिक तौर पर खतरनाक एवं नुकसानदेह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट एवं उसके अध्ययन से भी इसकी पुष्टि होती है कि मोबाईल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रो -मैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से कई प्रकार की घातक बीमारियों के चपेट में लोग आ जाते हैं खासकर माइग्रेशन, चर्मरोग, बहरापन, नपुंसकता, ब्रेन के अंदर के (न्यूरो सेल) को क्षति पहुंचाने वाली घातक बीमारियां मानव शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है।

अत: इस संबंध में मैं सरकार से समुचित कदम उठाने, मोबाईल टावर को रिहायशी इलाकों से हटाने एवं निजी फोन कम्पनियों के मोबाईल टावर को लेकर राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनाने हेतु सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/-प्रेम चन्द्र मिश्रा
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि0प0अ0प्र0-35/2019 -360 (1) वि.प. पटना, दिनांक :- 06.02.2019

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक – 13.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

06.02.2019
(नवल किशोर सिंह)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में अधिकारियों की रूचि अनाज और किरासन तेल की कालाबारी रोकने में नहीं है। सरकार ने सभी जिलों को भेजे गये अपने पत्र में यह स्वीकार किया है कि अधिकारी जिलों में छापेमारी नहीं करते हैं, इसके अलावा समान की जब्ती अधिग्रहणवाद का भी निपटारा समय पर नहीं हो रहा है। साल भर में मात्र 760 छापेमारी ही हुई है जिसमें 237 एफ.आई.आर. ही दर्ज हो पायी है। दरभंगा, गोपालगंज, अरवल, शिवहर, अररिया आदि जिलों में तो एक भी छापेमारी नहीं की गई तथा कुछ जिलों में छापेमारी की खानापूर्त्ति की गई है। अधिकारियों की कार्यशैली एवं मिलीभगत से कालाबाजारी गिरोह बनाकर बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं।

अत: मैं सदन में सूबे में अनाज एवं किरासन तेल की कालाबाजारी रोकने हेतु सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- डा. दिलीप कुमार जायसवाल
स.वि.प.

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-34/2019- 359(1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 06.02.2019

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार / प्रश्न शाखा, निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-13.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

06.02.2019
(नवल किशोर सिंह)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राजधानी में करीब एक हजार से अधिक होर्डिंग के यूनिपोल और लोहे के फ्रेम जानलेवा बन गए हैं। यूनिपोल से नगर निगम ने अवैध होर्डिंग तो हटा दिया लेकिन होर्डिंग के विशालकाय लोहे के फ्रेम को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जिसकी वजह से शहर से अवैध होर्डिंग हटाने के मामले में नगर निगम ने सफलता तो हासिल कर ली लेकिन उस स्थान को अभी भी खाली नहीं करवाया गया जिस पर होर्डिंग लगाया गया था। कई इमारतों के अलावा भारी भरकम यूनिपोल पर लगाये गए लोहे के बड़े-बड़े फ्रेम ज्यों का त्यों बने हुए हैं। ये लोहे के फ्रेम किसी भी समय बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं।

अत: मैं सरकार से पटना में अवैध यूनिपोल और लोहे के फ्रेम हटाये जाने पर, सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/-कृष्ण कुमार सिंह
स0वि0प0

ज्ञापांक-वि0प0अ0प्र0-32/2019- 358(1) वि.प. पटना, दिनांक- 06.02.2019

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 13.02.2019 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. केवल संबंधित विभाग के लिए

नवल किशोर सिंह
06.02.2019

नवल किशोर सिंह
उप सचिव,
बिहार विधान परिषद्